

बिहार सरकार  
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

डा० एन० विजयलक्ष्मी, भा०प्र०से०,  
सरकार के सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार (ले०एवं हक०), बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक- 17/7/2017.

\*अनौपचारिक  
रूप से  
परामर्शित।

द्वारा :-

\*आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल ₹ 75.00 लाख (₹ पचहत्तर लाख) मात्र की अनुमानित लागत व्यय पर केन्द्र प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LH & DC) के अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत Foot and Mouth Disease - Control Programme (FMD-CP) के अन्तर्गत माह अप्रैल-मई-2017 में सम्पन्न FMD टीकाकरण कार्य में संलग्न निजी टीकाकर्मियों के बकाये मानदेय की भुगतान की योजना की स्वीकृति।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल ₹ 75.00 लाख (₹ पचहत्तर लाख) मात्र की अनुमानित लागत व्यय पर केन्द्र प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LH & DC) के अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत Foot and Mouth Disease - Control Programme (FMD-CP) के अन्तर्गत माह अप्रैल-मई-2017 में सम्पन्न FMD टीकाकरण कार्य में संलग्न निजी टीकाकर्मियों के बकाये मानदेय के भुगतान की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुओं को संक्रामक रोग यथा एफ०एम०डी० रोग से बचाव हेतु माह- अप्रैल-मई 2017 में सम्पन्न एफ०एम०डी० टीकाकरण कार्य में संलग्न निजी टीकाकरण कर्मियोंके बकाये मानदेय का भुगतान करना है ताकि इन निजी टीकाकर्मियों का राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम में रूची बनी रहे। इस योजना के तहत प्रत्येक निजी टीकाकर्मियों को प्रति पशु टीका ₹ 2.50/- प्रति पशु की दर से मानदेय के रूप में भुगतान किया जाएगा।
3. चुकि यह योजना एक चालू योजना का भाग है। इस लिए बिहार कार्यपालिका (सेशोधन) नियमावली-2007 के नियम-21 के अधीन चतुर्थ अनुसूची के नियम-"ग" के उपनियम-2 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस योजना के स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या-6 एस०एस०(9) 02/2015 के पृष्ठ-55/टि०।
4. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस योजना के तहत होने वाले व्यय का विकलन (i) मुख्य शीर्ष-2403 -पशुपालन-उप मुख्य शीर्ष-00 -लघु शीर्ष-789 -अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँब संख्या-02 -उप

शीर्ष-0206 -राष्ट्रीय पशु धन स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम  
विपत्र कोड-02-2403007890206 पी०एफ०एम०एस० कोर्ड-9147 -विषय  
शीर्ष-0206.28.02 -संविदा सेवाएँ के तहत उपबंधित राशि एवं पुनर्विनियोग के  
माध्यम से उपबंधित होने वाली राशि से विकलनीय होगा तथा

(ii) मुख्य शीर्ष-2403 -पशुपालन-उप मुख्य शीर्ष-00 -लघु शीर्ष-789  
-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँब संख्या-02 -उप  
शीर्ष-0306 -राष्ट्रीय पशु धन स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम  
विपत्र कोड-02-2403007890306 पी०एफ०एम०एस० कोर्ड-9147 -विषय  
शीर्ष-0306.28.02 -संविदा सेवाएँ के तहत उपबंधित राशि एवं पुनर्विनियोग के  
माध्यम से उपबंधित होने वाली राशि से विकलनीय होगा

5. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी होंगे। निदेशक पशुपालन, बिहार पटना इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी माह अप्रैल-मई 2017 में सम्पन्न एफ०एम०डी० टीकाकरण कार्य में संलग्न निजी टीकाकर्मियों को FMD टीकाकरण के विरुद्ध प्रति पशु टीकाकरण के एवज में ₹ 2.50/- (दो रुपये पचास पैसे) मात्र का भुगतान किया जाएगा।
6. निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना इस योजना के सफल कार्यान्वयन एवं क्रियान्वयन हेतु पूर्णरूपेण जवाबदेह होंगे।
7. राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है संचिका संख्या-6 एस०एस० (9) 02/2015 के पृष्ठ- /टि० तथा डायरी संख्या- शून्य, दिनांक-
8. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

  
(डा० एन विजयलक्ष्मी)  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-6 एस०एस०(9) 02/2015- 2302 /पटना-15, दिनांक- 17/7/2017.  
प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/ बजट शाखा)/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-6 एस०एस०(9) 02/2015- 2302 /पटना-15, दिनांक- 17/7/2017.  
प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-6 एस०एस०(9) 02/2015-2302/पटना-15, दिनांक- 17/7/2017.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-6 एस०एस०(9) 02/2015-2302/पटना-15, दिनांक- 17/7/2017.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।


ज्ञापांक-6 एस०एस०(9) 02/2015-2302/पटना-15, दिनांक- 17/7/2017.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-6 एस०एस०(9) 02/2015-2302/पटना-15, दिनांक- 17/7/2017.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।

## व्यय विवरणी-“क”

वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LH & DC) के अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत Foot and Mouth Disease – Control Programme (FMD-CP) के अन्तर्गत माह अप्रैल-मई-2017 में सम्पन्न FMD टीकाकरण कार्य में संलग्न निजी टीकाकर्मियों के बकाये मानदेय की भुगतान पर विपत्र कोड-02-2403007890206 के अन्तर्गत होने वाले संभावित व्यय का व्यय विवरणी :-

(रु० लाख में)

क्र०	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पद नाम	कोषागार का नाम
1	0206.28.02 –संविदा सेवाएँ	30.00	सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी।	सभी जिला कोषागार।
योग :-		30.00		

2302  
17/7/17

(कुल ₹ तीस लाख) मात्र।

~~17/7/17~~  
सरकार के सचिव।

## व्यय विवरणी-“ख”

वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LH & DC) के अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत Foot and Mouth Disease – Control Programme (FMD-CP) के अन्तर्गत माह अप्रैल-मई-2017 में सम्पन्न FMD टीकाकरण कार्य में संलग्न निजी टीकाकर्मियों के बकाये मानदेय की भुगतान पर विपत्र कोड-02-2403007890306 के अन्तर्गत होने वाले संभावित व्यय का व्यय विवरणी :-


(रु० लाख में)

क्र०	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पद नाम	कोषागार का नाम
1	0306.28.02 –संविदा सेवाएँ	45.00	सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी।	सभी जिला कोषागार।
योग :-		45.00		

(कुल ₹ पैतालीस लाख) मात्र।

व्यय का सारांश	राशि (लाख रुपये में)
(1) व्यय विवरणी- “क”	30.00
(2) व्यय विवरणी- “ख”	45.00
<b>योग :-</b>	<b>75.00</b>

(रुपये पचहत्तर लाख) मात्र।

  
सरकार के सचिव।

2302  
17/07/17